यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 43 / 2023 प्रार्थना पत्र

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2023 / 18

उनवान

1. श्री शंकर पिता दल्ला डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी बनोडा, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

– प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री पेमा डांगी पिता गोता डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी बनोडा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–::निर्णयः:–

तारीख निर्णय– 20/05/26

उपस्थितिः– श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता –प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1 एक पक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात नं. 1615 गांव बनोडा में स्थित है। जिससे लगे हुये आराजी नं. 1401 तथा 1402 विपक्षी के खातेदारी के है। इसके पश्चात् आराजी नं. 1605 भेरा डांगी के है तथा आराजी नं. 1604 बिलानाम है तथा उसके पश्चात् आराजी नं. 1713 किस्म नाला है जो प्रार्थी के दुसरे खेत की आराजीयात 1588 तक जाता है। इस प्रकार से प्रार्थी के एक खेत आराजी नम्बर 1615 से 1588 तक आने जाने के लिये तथा ट्रेक्टर, बैलगाडी ले जाने के लिये उक्त कृषि भूमि बीच में आती है। जिसमें भेरा डांगी को कोई उजर एतराज नहीं है, शेष भूमि बिलानाम व नाले की है।

विपक्षी आराजी नं. 1401 एवं 1402 में जबरन बलपूर्वक उक्त दोनों आराजीयात में आने जाने का प्रार्थी का रास्ता बलपूर्वक बन्द कर रास्ते में कांटे पत्थर आदि डालकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जबकि इस रास्ते से प्रार्थी 50 वर्षों से आ जा रहा है, अपनी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता रहा है। परन्तु विपक्षी ने बलपूर्वक रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी अपनी काश्तकारी नहीं कर पा रहा है और प्रार्थी के खेतो में समय पर हकाई का कार्य नहीं हो पा रहा है जिस कारण विपक्षी के खातेदारी की आराजी नं. 1401 तथा 1402 में से प्रार्थी का रास्ता खुलवाया जाना आवश्यक हो गया है तथा प्रार्थी के खातेदारी आराजी नम्बर 1615 के बाद भी अन्य खातेदारों के खेत है उनका रास्ता भी अवरूद्ध हो रहा है। जिस कारण शिघ्रातिशिघ्र उक्त दोनों आराजी में से प्रार्थी का रास्ता खुलवाया जाने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ते का पत्थरगढी एंव राजस्व रिकार्ड पर्चा मौका इत्यादी का जो भी नियमानुसार राशि होगी वह प्रार्थी अदा करेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षी के वियद्ध निम्न प्रकार का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे कि विपक्षी ने रास्ते को बन्द कर दिया है उसे खुलवाने का आदेश प्रदान करावे तथा उक्त रास्ते की पत्थर गढी कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किया जावे तथा रास्ते की चोडाई 15 फीट तक की जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी की ओर से आदेशिका दिनांक 31–07–2023 को अधिवक्ता श्री रमेश पटेल ने वकालतनामा पेश किया। विपक्षी को जवाब हेतु न्यायाहित मे कई अवसर प्रदान किये गये। आदेशिका दिनांक 04–12–2024 को विपक्षी के गैर हाजिर रहने से उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्पश्चाता प्रकरण मे तहसीलदार झल्लारा से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झल्लारा ने पत्रांक 267 दिनांक 23.05.2025 से प्रकरण मे रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन प्रार्थी को कराया गया।

पत्रावली मे प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उसकी खातेदारी भूमि आराजी नं. 1615 से आराजी नं. 1588 तक आने–जाने हेतु विपक्षी की आराजी नं. 1401 एवं 1402 से रास्ता उपलब्ध कराया जाए तथा उक्त भूमि पर अवरोध हटाया जाकर उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाए।

बहस मनन की गई एवं प्रकरण में तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा जिन आराजी नं. 1401 एवं 1402 से रास्ते का दावा किया गया है, उनका कोई स्पष्ट एवं प्रमाणित राजस्व अभिलेख में प्रचलित रास्ता अंकित नहीं पाया गया। मौके पर भी उक्त भूमि से वर्षों से नियमित सार्वजनिक/कृषि मार्ग के उपयोग का ठोस प्रमाण नहीं मिला। प्रार्थी के लिए आराजी नं. 1588 तक पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग बिलानाम आराजी नं. 1743 (नदी पडत) से होकर लगभग 3 मीटर चौड़ा उपलब्ध है। साथ ही अन्य पगडंडी/आवागमन मार्ग भी व्यवहारिक रूप से उपलब्ध होना प्रतिवेदित है।

न्यायालय का मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अंतर्गत किसी निजी खातेदारी भूमि पर मार्ग अधिकार तभी प्रदान किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि प्रार्थी के पास अपनी भूमि तक पहुंच का कोई वैध, व्यवहारिक एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा विवादित भूमि पर पूर्व से प्रचलित मार्ग अस्तित्व में रहा हो। वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिपोर्ट से यह सिद्ध नहीं होता कि विवादित आराजी नं. 1401 एवं 1402 में से प्रार्थी का कोई विधिक या प्रचलित मार्ग विद्यमान था अथवा वर्तमान में प्रार्थी के पास कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हो।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने वैध कृषि कार्य हेतु उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें एवं भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 20/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर